दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 28-06-2025

14 वर्ष के बच्चे की मौत पर 10.81 लाख मुआवजा, कोर्ट ने कहा- भविष्य की संभावना नजरअंदाज नहीं की जा सकती

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने 14 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों को 10.81 लाख रुपए का मुआवजा देने के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। बीमा कंपनी ने इस आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे के उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कटघोरा में 22 मई 2017 को 14 साल का आलोक स्कूटी पर पीछे बैठा था। कार क्रमांक- सीजी-12, डी 9062 की टक्कर से सड़क पर गिरा। पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। माता-पिता और भाई-बहन ने 90 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन पेश किया। कटघोरा के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने न्यूनतम वेतन के आधार पर मासिक आय 8,190 रुपए मानी। भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 फीसदी जोड़ा और कुल 10.31 लाख रुपए की हानि तय की। साथ ही अंतिम संस्कार और अन्य मदों में 50 हजार रुपए जोड़कर मुआवजा 10.81 लाख रुपए तय किया था। इसे चुनौती दी गई थी।